कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1529 / FP/UK/ROAD/49876/2020 : देहरादूनःदिनांकः 23 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषयः–जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरो की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0मी0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 1220/12–1 दिनांक 14.12.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑनलाईन दिनांक 14.12.2021 को एवं प्रस्ताव की 03 हार्ड प्रति आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा दिनांक 16.12.2021 को प्राप्त हुई है। आप द्वारा प्रस्तुत हार्ड प्रति के गहन अवलोकन करने के पश्चात निम्न प्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक हैः–

1. प्रस्ताव के संलग्न समस्त प्रारूप पर पृष्ठ संख्या अंकित की जाय।
2. प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 में रोजगार पैदा होने वाला कॉलम रिक्त हैं। रोजगार पैदा होने की सम्भावना एवं मानव दिवस अंकित किये जायें।
3. प्रस्ताव में संलग्न भाग–2 में स्थान एवं दिनांक अंकित की जाय।
4. प्रारूप–6/संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वन एवं राजस्व भूमि प्रभावित होना उल्लिखित है, जबकि भाग–01 में आरक्षित वन भूमि एवं नाप भूमि प्रभावित होगी अंकित है। स्थिति स्पष्ट करें।
5. प्रस्ताव में परियोजना निर्माण हेतु दो डिजिटल मैप संलग्न है। स्थिति स्पष्ट करें।
6. प्रारूप–06/प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रारूप 11/वन भूमि की मांग का औचित्य में बांज एवं बुरांश वृक्षों की संख्या में भिन्नता है।
7. परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाली नाप भूमि का लैण्ड शैड्यूल प्रस्ताव में संलग्न है, जिसके अनुसार भाग–1 में प्रभावित होने वाली भूमि में भिन्नता है। इसके अतिरिक्त बार चार्ट का भी तदनुसार परीक्षण करायें।
8. परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची में आरक्षित एवं सिविल सोयम भूमि उल्लिखित है, जबकि भाग–01 के अनुसार सिविल सोयम भूमि प्रभावित नहीं होगी।
9. वन अधिकार अधिनियम 2006 में संलग्न प्रारूप 30.1 में रिक्त स्थानों को भरा जाये।
10. उपखण्ड स्तरीय समिति में पत्रांक एंव दिनांक अपेक्षित है।
11. ग्राम स्तरीय समिति के अभिलेख ग्रामीणों की सहमति सहित प्रस्ताव में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।
12. परियोजना निर्माण हेतु यदि नाप भूमि प्रभावित होगी तो सम्बन्धित भूमिधरों के स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं आनपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न किये जायें।
13. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न प्रपत्रों के अनुसार मार्ग की लम्बाई 4.650 कि0मी0 है जबकि मार्ग निर्माण की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति 08 कि0मी0 की है। स्थिति स्पष्ट करें।

उक्त आपत्तियों के निराकरण करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये कमियों का पूर्ण निराकरण कर हार्ड मूल प्रति सहित (03 प्रतियों में) ऑनलाईन/ऑफलाईन इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक

पत्रांक 1529 / FP/UK/ROAD/49876/2020 तद्दिनांकित।

1. **प्रतिलिपिः**–प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. **प्रतिलिपिः**–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चम्बा, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर भलि–भांति अवलोकन कर आपत्तियों का निराकरण करने के पश्चात प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर)
(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक